13/07/22

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 32/2022 रा.वा.
जी.सी.एम.एस. नम्बर—2022/152

1. श्री वीरजी पुत्र स्व गांगा डांगी पटेल उम्र बालिग, निवासी डांगीवाडा डाल तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

—वादी

विरूद्ध

1. श्री दला पुत्र स्व. रोडा डांगी पटेल, उम्र बालिग
2. श्री गोवना उर्फ गोविन्द पुत्र स्व. वेला डांगी पटेल, उम्र बालिग,
3. श्री वाला पुत्र स्व. वेला डांगी पटेल, उम्र बालिग
4. श्री केवा पुत्र स्व. माना डांगी पटेल, उम्र बालिग,
5. श्री वाला पुत्र स्व. माना डागी पटेले, उम्र बालिग

सभी निवासीया डांगीवाडा डाल तहसील सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः 27/10/2025

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

उपस्थितः— श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता —वादीगण
प्रतिवादीगण—एक पक्षीय

::निर्णय::

वादी के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न है कि ग्राम एवं मौझा डांगीवाडा पटवार हल्का डाल तहसील सलुम्बर की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 532 आराजी नम्बर 3054/0.20, 3055/0.05 कुल किता 02 दो रकबा 0.25 हैक्टेयर लगानी 1.55 रूपये कृषि भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार वादी अकेला है एवं वादग्रस्त भूमि पर वादी का जन्म से कब्जा काश्त चला आ रहा है क्योंकि उक्त भूमि वादी के स्व. पिता गांगजी पुत्र देवा को राज ने वादी के जन्म से पहले एलोट की थी एवं वादी के पिता ने निम्न भूमि पर हजारो रूपया खर्च करके भुमि को आबाद की एवं दो फसली की उसके बाद राज ने वादी के स्व. पिता को खातेदारी अधिकार दिये एवं वादी के पिता के निधन के बाद वादग्रस्त भूमि पर वादी खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर बरोकटोक के शान्तीपूर्वक गत 2 दो वर्ष पूर्व तक काबिज चला आ रहा था एवं उक्त भूमि के चारो तरफ कच्चे पाथरों का कोट एवं उत्तर में पक्का कोट बनाया था जिससे वादी मवेशी बांधता था तथा कृषि औजार रखने के कच्चे घर एवं टीन शेड एवं छोटे मकान बनाये थे एवं उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रतियादीगण का कोई हक, हिस्सा, स्वामित्व एवं आधिपत्य आदि नहीं था परन्तु गत 2 दो वर्ष पूर्व वादी गरीबी की वजह से मजबुरी से मजदुरी करने बोम्बे गया एवं पत्नी अपने पीहर चली गई एवं प्रतिवादीगण जो बादी के चचेरे भाई होकर परिजन है उनको निम्न भूमि पर निगरानी करने के लिये सिपुर्द करके गया था एवं शर्त यह तय हुई थी कि जब तक बोम्बे से वादी वापिस घर नहीं आवेगा तब तक वादी के मवेशी घर व टीन शेड घर को प्रतिवादीगण सुरक्षित रखेंगे एवं प्रतिवादीगण ने भी वादी को भरोसा दिलाया था कि

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वादग्रस्त कृषि भूमि सुरक्षित रखेंगे इसलिये वादी निम्न कृषि भूमि प्रतिवादीगण को सिपुर्द करके बोम्बे जनवरी 2020 में चला गया था जो अब 1 जुन 2022 को वापिस आया है। प्रतिवादीगण ने वादी के खातेदारी की कृषि भूमि पर वादी की बिना स्वीकृति अवैध निर्माण किया इसलिये वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि खाली करने कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने कब्जा सिपुर्द करने से मना कर दिया एवं वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होना मानने से मना कर दिया एवं वादी को कहा कि यदि वादी ने जबरन वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रवेश किया तो बादीं के हाथ पैर तोड डालने की धमकी दी जिससे वादी अपने वकील साहब गोपाल जी चौबीसा को यह वाद पेश करने के पूर्व मौका दिखाने ले गया तब भी वादी के साथ सभी प्रतिवादीगण झगडा करने को उतारू हुए जिससे वादी को मजबूर होकर अब वादग्रस्त कृषि भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार होने की घोषणा कराने प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाकर कब्जा प्राप्त करने का व स्थाई व आदेशात्मक निषेधाज्ञा का यह वाद पेश कर रहा है साथ में प्रतिवादीगण का अवैध निर्माण आदेशात्मक निषेधाज्ञा से हटवाने का एवं वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी को कब्जा प्राप्त होने के बाद वादी के शान्तीपूर्वक काश्त कब्जे में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दस्तनदाजी नहीं करे उसके लिये स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद पेश है एवं जब तक वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा सिपुर्द नहीं करे तब तक कृषि भूमि का आवासीय उपयोग करने का हर्जाना 1000/–रूपये एक हजार रूपया माहवार से वादग्रस्त कृषि भूमि उपयोग कृषि कार्य के अलावा करने का हर्जाना प्राप्त करने का भी यह वाद वादी को मजबूर होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश करना पड रहा है। यदि प्रतिवादीगण के विरूद्ध शीघ्र स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सभी प्रतिवादीगण मिलकर वादग्रस्त कृषि भूमि पुरी पर वादी के कच्चे घर व टीन शेड मकान बना हुआ है उसे नष्ट कर उस पर पक्का मकानों का निर्माण कर वादग्रस्त पुरी कृषि भूमि बर्बाद कर सकते है जिससे वादी अपने खातेदारी की कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जावेगा जिससे वादी को जो क्षति होगी उसकी रूपये पैसों में मुल्यांकन नहीं हो पायेगा एवं अनेक वाद लाने पड़ेंगे। वाद हेतु सर्व प्रथम दिनांक 01–01–2020 को जिस दिन प्रतिवादीगण को कब्जा सुरक्षा के लिये सिपुर्द किया उस दिन एवं दिनांक 01–06–2022 को जिस दिन प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द नहीं किया उसके बाद प्रतिवादीगण का कब्जा अतिक्रमी का होने से वादी का यह वाद घोषणा कराने, कब्जेयाबी व स्थाई व आदेशात्मक निषेधाज्ञा का अवधि में पेश है। अतः प्रार्थना है कि

(क) कि मौजा डांगीवाडा पटवार हल्का डाल तहसील सलुम्बर की हाल खाता नं. 532 की आराजी नम्बर 3054 रकबा 0.20 हैक्टेयर व आराजी नं. 3055 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 02 दो रकबा 0.25 हैक्टेयर लगानी 1.55 रूपये का कब्जा प्रतिवादीगण का हटाकर वादीगण को सिपुर्द कराया जावे।

(ख) कि वादग्रस्त कृषि भूमि आ.नं. 3054 एवं 3055 वादी के स्व. पिता गांगा पिता देवा डांगी को राज ने एलोट की थी एवं गांगा का वादी एक मात्र पुत्र होने से उक्त भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

(ग) कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने अवैध निर्माण किया है उसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से तुडवाकर कृषि भूमि पूर्ववत कर कब्जा वादी को सिपुर्द कराया जावे।

(घ) कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि का आवासीय उपयोग अवैध रूप से कर रहे है इसलिये 1000/– रूपया एक हजार रूपया प्रतिमाह दिनांक 01–06–2022 से कब्जेयाबी तक दिलाया जावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

(ड) कि अन्य उचित व आवश्यक दाद जो न्याया हित में वादी को दिलाई जा सके वह दिलाई जावे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5 जरिये असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 02–11–2022 को प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। आदेशिका दिनांक 10–07–2024 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5 के जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब दावा पेश नही करने से जवाब का अवसर बन्द किया गया। आदेशिका दिनांक 20–08–2025 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5 मय अधिवक्ता के गैर हाजिर रहने से उक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी स्वयं बतौर गवाह हाजिर आया एवं शपथ पत्र पेश किया तथा अपने वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श–1 जमाबन्दी खाता संख्या 532, प्रदर्श 2 नक्शा ट्रेस पेश किया। प्रतिवादीगण के गैर हाजिर रहने से जीरह नील रही।

प्रकरण में प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादी की विवादित आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादवर्णित अनुतोष मुताबिक स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण की प्रथम इश्तहुआ वादी की खातेदारी आराजीयात की भूमि से प्रतिवादीगण के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने हेतु प्रदर्श संख्या–01 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 3054/0.20, 3055/0.05 कुल किता 02 रकबा 0.25 हैक्टेयर मौजा डांगीवाडा पटवार हल्का डाल तहसील सलूम्बर में स्थित हैं। राजस्व जमाबंदी मे वादी का नाम दर्ज अंकित होकर वादी वादग्रस्त आराजीयात का रेकॉर्डेड खातेदार है। प्रकरण में साक्ष्य गवाह के बयानो का अवलोकन किया गया। पी. डब्ल्यू.–1 वीरजी पुत्र स्व. गांगा डांगी पटेल निवासी डांगीवाडा, डाल तहसील सलूम्बर ने शपथपूर्वक कथन किया है कि प्रतिवादीगण को मै अपने चचेरे भाई समझकर उन पर भरोसा कर उक्त भूमि उन्हें सिपुर्द करके गया था एवं प्रतिवादीगण के दिल मे मेरे बोम्बे जाने के बाद मेरी उक्त भूमि हडपने की उनके मन में बदनियति पैदा हो गई एवं मेरी पुरी भूमि हडपने के लिये उक्त भूमि में अवैध निर्माण कर मेरी कृषि भूमि बर्बाद की है इसलिये मै इस वाद के द्वारा प्रतिवादीगण का अवैध निर्माण तुडवाकर मेरी वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्ववत करा करके मुझे एकमात्र खातेदार काश्तकार उक्त भूमि का घोषित कर कब्जा सिपुर्द कराया जावे तथा कब्जा सिपुर्द करने के बाद मेंरे शान्तिपूर्वक काश्त कब्जे में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नही करे, इसके लिये उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के लिये निवेदन किया है। वादी ने अपने वादपत्र कि कलम संख्या 1 व 2 मे वादग्रस्त आराजीयात की भूमि की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण को सिपुर्द करने का अभिकथन किया है किन्तु वादग्रस्त आराजीयात की सुरक्षा हेतु किन अनुबन्धो अथवा शर्तो के तहत उभयपक्ष के मध्य कोई करार हुआ हो के समर्थन मे कोई दस्तावेज पत्रावली मे उपलब्ध नही है। पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी की खातेदारी आराजीयात की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर निर्माण कार्य किया हो संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी राजस्व जमाबंदी मे रेकॉर्डेड खातेदार दर्ज

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

अंकित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 3054 / 0.20, 3055 / 0.05 कुल किता 02 रकबा 0.25 हैक्टेयर मौजा डांगीवाडा पटवार हल्का डाल तहसील सलूम्बर पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादी का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादीगण का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट नही होता है कि प्रतिवादीगण ने वादी की आराजीयात पर कोई निर्माण किया हो तथा अवैध निर्माण कर अवासीया प्रयोग कर रहा हो वादी अपने अभिवचनो के समर्थन मे वाद कारण से पूर्व कि स्थिति से वर्तमान स्थिति मे मौके पर कोई परिवर्तन के प्रमाणा नही है जिससे वादीगण द्वारा चाही गई अनुतोष / दादा (ग) व (घ) दिया जानो न्यायालय उचित नही समझता है। अतः वादी का वाद स्थाई निशेधाज्ञा के अनुतोष तक स्वीकार किया जाना न्यायलय उचित समझता है।

–::आदेश::–

वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 3054 / 0.20, 3055 / 0.05 कुल किता 02 रकबा 0.25 हैक्टेयर मौजा डांगीवाडा पटवार हल्का डाल तहसील सलूम्बर पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तथा तहसीलदार सलूम्बर को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार मौके पर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे। उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

आदेश आज दिनांक 27/10/2025 को सरे–इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 32/2022 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2022/152

1. श्री वीरजी पुत्र स्व गांगा डांगी पटेल उम्र बालिग, निवासी डांगीवाडा डाल तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

–वादी

विरूद्ध

1. श्री दला पुत्र स्व. रोडा डांगी पटेल, उम्र बालिग
2. श्री गोवना उर्फ गोविन्द पुत्र स्व. वेला डांगी पटेल, उम्र बालिग,
3. श्री वाला पुत्र स्व. वेला डांगी पटेल, उम्र बालिग
4. श्री केवा पुत्र स्व. माना डांगी पटेल, उम्र बालिग,
5. श्री वाला पुत्र स्व. माना डागी पटेले, उम्र बालिग

सभी निवासीया डांगीवाडा डाल तहसील सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री दिनांकः– 27/10/25

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 92 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्दलाल डांगी एवं प्रतिवादीगण की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 27/10/25 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 3054/0.20, 3055/0.05 कुल किता 02 रकबा 0.25 हैक्टेयर मौजा डांगीवाडा पटवार हल्का डाल तहसील सलूम्बर पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तथा तहसीलदार सलूम्बर को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार मौके पर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिकी आज दिनांक 27/10/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर